

व्यूज टुडे

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा 'कोल 2024: एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2027' रिपोर्ट प्रकाशित की गई

इस रिपोर्ट में कोयले के ग्रेड और क्षेत्र के अनुसार कोयले की मांग, आपूर्ति एवं व्यापार के रुझानों तथा पूर्वानुमानों को प्रस्तुत किया गया है।

कोयले के उपयोग की दिशा

- कोयले की मांग: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोयले की मांग में गिरावट होने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया में इसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है।
 - भारत में आर्थिक संवृद्धि से जुड़ी विद्युत की उच्च मांग के चलते, कोयले की मांग में सबसे अधिक वृद्धि होने की संभावना है।
- कोयले का उत्पादन: वैश्विक स्तर पर, 2024 में कोयले का उत्पादन अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने और फिर 2027 तक स्थिर होने की उम्मीद है।
 - भारत वैश्विक स्तर पर कोयले के उत्पादन वृद्धि में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन सकता है।
 - भारत में 2023 में कोयले का उत्पादन 10% की वृद्धि के साथ 1 बिलियन टन से अधिक हो गया था।
 - 2024 में कोयला उत्पादन में 8% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

कोयले के लगातार उपयोग के लिए जिम्मेदार कारक:

- बढ़ती मांग: आर्थिक संवृद्धि के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु विद्युत, औद्योगिक विकास और अवसंरचना के विकास के लिए कोयले की मांग बढ़ रही है।
- मौसम संबंधी उतार-चढ़ाव: पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कोयला आधारित सतत, विश्वसनीय एवं किफायती बिजली से संतुलित किया जाता है।
- विद्युत की मांग को बढ़ाने वाले दो कारक: परिवहन और औद्योगिक हीटिंग जैसी सेवाएं पहले किसी अन्य ईंधन स्रोतों पर निर्भर थीं, लेकिन इन सेवाओं का विद्युतीकरण होने से बिजली की मांग में काफी वृद्धि हुई है, जैसे- इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग। इसी तरह डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए क्षेत्रों के उदय से भी ऊर्जा की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। इन क्षेत्रों में ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती है।
- कोयला निर्यातकों की लाभप्रदता: कोविड-19 और 2022 के ऊर्जा संकट के बाद कोयला निर्यातकों का मुनाफा बढ़ा है।

कोयले के उपयोग को संतुलित करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा: इसके तहत पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल: यह कोयला खदानों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को तेज करता है।
- ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन में कमी करना: इसके लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD), इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) आदि तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए निर्देश/ सुझाव जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को टी.एन. गोदावर्मन निर्णय (1996) के अनुपालन में ओरण जैसे पवित्र उपवनों की पहचान करने के लिए निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मुख्य निर्देश/ सुझाव

- पवित्र उपवनों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत विशेष रूप से धारा 36(c) के तहत सामुदायिक रिजर्व घोषित करके संरक्षण प्रदान करना।
- पिपलांती गांव जैसे मॉडल को देश के अन्य भागों में भी अपनाने और लागू करने के लिए सरकार के स्तर पर सक्रिय उपाय करना अनिवार्य है।
 - पिपलांती मॉडल राजस्थान के राजसमंद जिले के एक छोटे से गांव में विकसित किया गया है।
 - यह एक सामुदायिक संरक्षण प्रयास है, जिसमें हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) पवित्र उपवनों के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति तैयार करेगा।
 - इसके तहत, MoEFCC को पवित्र उपवनों के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के लिए एक योजना भी तैयार करनी होगी।
- राजस्थान सरकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत पारंपरिक समुदायों को संरक्षक के रूप में मान्यता दे कर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।
- MoEFCC और राजस्थान का वन विभाग एक समिति का गठन करेंगे, जो पवित्र उपवनों के मानचित्रण एवं पहचान संबंधी प्रक्रिया की निगरानी करेगी।

पवित्र उपवन (Sacred Grove) के बारे में

- पवित्र उपवन वन के भाग या वृक्षों के समूह होते हैं। ये उन स्थानीय समुदायों के लिए गहन सांस्कृतिक या आध्यात्मिक महत्त्व रखते हैं, जो उन्हें संरक्षित और पोषित करते हैं।
- भारत में अनुमानतः 100,000 से अधिक पवित्र उपवन हैं। इस प्रकार, विश्व में सबसे अधिक पवित्र उपवन भारत में हैं।
 - इन्हें राजस्थान में देवरा, मालवन और उत्तराखंड में बुग्याल आदि अलग-अलग नामों से जाना जाता है।
- मेघालय के पवित्र उपवन "लिविंग रूट ब्रिज (जिंग कींग ज़ी)" को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) ने कई उपलब्धियां हासिल की

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) के तहत 91% परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इससे शहरों को स्मार्ट और अधिक रहने योग्य बनाने में मदद मिल रही है।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) के बारे में

- इसे 2015 में शुरू किया गया था।
- उद्देश्य: इस मिशन का उद्देश्य दक्ष सेवाएं, मजबूत अवसंरचना और संधारणीय समाधान उपलब्ध कराकर देश के 100 शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- मिशन के कार्यान्वयन के लिए दो प्रमुख तरीके:
 - क्षेत्र-आधारित विकास (ABD): इसमें शहर के किन्हीं विशेष क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जाता है।
 - अखिल-शहर परियोजनाएं: इनमें पूरे शहर की अवसंरचनाओं एवं सेवाओं में सुधार और विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।
- मिशन के अन्य पहलू:
 - मिशन के कार्यान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) की स्थापना की गई है;
 - परियोजना के लिए कई स्रोतों से फंड जुटाने पर जोर दिया जा रहा है,
 - प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और
 - शहर के विकास में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

मिशन की मुख्य उपलब्धियां

- इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC): सभी 100 स्मार्ट शहरों में ICCC कार्य कर रहे हैं। ये सेंटर्स शहरों के संचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं।
- जन सुरक्षा (पब्लिक सेफ्टी): आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने और यातायात प्रबंधन में सहायता के लिए 84,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: 66 शहर अपशिष्ट को सही से इकट्ठा करने के लिए तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इन शहरों में गलियों से अपशिष्ट इकट्ठा करने वाले वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) से जोड़ा गया है।
- स्वास्थ्य: 172 ई-स्वास्थ्य केंद्र और 152 हेल्थ ATMs स्थापित किए गए हैं।

मिशन के समक्ष मुख्य चुनौतियां:

- कोविड-19 महामारी जैसे नए खतरों से निपटने योग्य स्मार्ट शहरी व्यवस्था के विकास से संबंधित चुनौती विद्यमान है।
- किसी स्मार्ट शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों को सभी निवासियों के उपयोग योग्य बनाना भी बड़ी चुनौती है।
- स्मार्ट शहरों में सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों की बिक्री सुनिश्चित करना एक अन्य चुनौती है।

रणनीतियां/ सुझाव

- क्षेत्र-आधारित विकास: इसके लिए पुनर्विकास या फिर ग्रीनफील्ड यानी नई परियोजनाओं के विकास संबंधी अप्रोच अपनानी चाहिए।
- अखिल-शहर पहल: पूरे शहर में स्मार्ट समाधान लागू करना चाहिए, ताकि समावेशिता और स्मार्ट आउटकम सुनिश्चित किया जा सके।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) के तहत शुरू की गई नवोन्मेषी परियोजनाएं

- साइकिल4चेंज और स्ट्रीट्स4पीपल: इनका उद्देश्य सक्रिय जीवन जीने को बढ़ावा देने के लिए ओपन स्पेस सुनिश्चित करना है।
- ट्रांसपोर्ट4ऑल: इसका उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना है।
- ईटस्मार्ट (EatSmart) सिटीज़: इसका उद्देश्य स्मार्ट शहरों में फूड सेफ्टी सुनिश्चित करना और संधारणीय खाद्य आदतों को बढ़ावा देना है।

जापान और भारत के स्टार्ट-अप अंतरिक्ष से मलबे को हटाने के लिए संयुक्त रूप से एक अध्ययन करेंगे

टोक्यो स्थित ऑर्बिटल लेजर और भारतीय रोबोटिक्स कंपनी इंसैसिटी यह अध्ययन करेंगे। इसके लिए वे लेज़र प्रौद्योगिकी आधारित सेटेलाइट्स का उपयोग करेंगे। इस अध्ययन के तहत वे एक निष्क्रिय सेटेलाइट को कक्षा से हटाने और अंतरिक्ष यानों की उपयोग अवधि बढ़ाने जैसे अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के लिए व्यवसायिक अवसरों का अध्ययन करेंगे।

- ऑर्बिटल लेज़र एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है, जो अंतरिक्ष मलबे की सतह के छोटे हिस्सों को लेज़र ऊर्जा की मदद से वाष्पीकृत कर सकती है। इससे अंतरिक्ष मलबे के घूर्णन को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से सेवारत अंतरिक्ष यान को मलबे से बचने में सहायता मिलेगी।

अंतरिक्ष मलबा क्या है?

- अंतरिक्ष मलबे को अंतरिक्ष कबाड़ भी कहा जाता है। इनमें प्रयुक्त रॉकेट के अलग-अलग चरण, अनुपयोगी सेटेलाइट्स, अंतरिक्ष से जुड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े तथा एंटी-सेटेलाइट वेपन्स (ASAT) से उत्पन्न मलबे शामिल होते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के अनुसार, पृथ्वी की कक्षा में 35,150 टुकड़े किए गए ऑब्जेक्ट्स हैं। इनमें से केवल 25% ही कार्यशील उपग्रह हैं।

अंतरिक्ष मलबे से संबंधित चिंताएं

- अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए खतरा: अंतरिक्ष मलबा कार्यशील अंतरिक्ष यान को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह ऑप्टिक्स और सौर पैनल्स जैसे घटकों को नष्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए- 10 सें.मी. के एक ऑब्जेक्ट के साथ टकराव एक सेटेलाइट को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है।
- केसलर सिंड्रोम: यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंतरिक्ष मलबे की अनियंत्रित वृद्धि के कारण टकरावों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो सकती है।
- पृथ्वी पर जीवन के समक्ष खतरा: बड़े अंतरिक्ष मलबे के अनियंत्रित तरीके से वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने से पृथ्वी पर आबादी के लिए खतरा बढ़ सकता है।

इससे बचने के उपाय

- अंतरिक्ष यानों को सफलतापूर्वक कक्षा से हटाना चाहिए। उनके कक्षा में ही विखंडित होने को सीमित करना चाहिए;
- मिशन के अंत में प्रभावी निपटान रणनीतियों को अपनाना चाहिए आदि।

अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए संचालित पहलें

वैश्विक स्तर पर

- रिमूवडेब्रिस मिशन: यह सक्रिय मलबा हटाने से संबंधित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए एक मिशन है।
- लियोसैट: अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए मैग्नोलिया लकड़ी से बनाया गया एक अनोखा सेटेलाइट है।
- संयुक्त राष्ट्र दायित्व कन्वेंशन (स्पेस ऑब्जेक्ट्स के कारण होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन), 1972 अपनाया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र पंजीकरण कन्वेंशन (बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट्स के पंजीकरण पर कन्वेंशन), 1976 प्रभावी किया गया है।

भारत में अपनाई गई पहलें

- प्रोजेक्ट नेत्र (NETRA (नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस) शुरू किया गया है।
- 2030 तक भारतीय अंतरिक्ष अभिकर्ताओं द्वारा मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन चलाया जा रहा है।

“ILO- कार्य बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों पर वैश्विक अनुमान” का चौथा संस्करण जारी किया गया

चौथे संस्करण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 284.5 मिलियन तक पहुंच गई है। इनमें से 255.7 मिलियन वैश्विक कार्यशील आयु वर्ग (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लोग हैं।
 - श्रम बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में महिलाएं 38.7% और पुरुष 61.3% हैं।
 - 2022 में वैश्विक श्रम बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की हिस्सेदारी 4.7% थी।
 - अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की बेरोजगारी दर, गैर-प्रवासियों की तुलना में अधिक थी।
- ### अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वे लोग होते हैं जिनका जन्म किसी और देश में हुआ होता है या नागरिकता किसी और देश की होती है लेकिन किन्हीं वजहों से अपने जन्म या मूल देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बस गए होते हैं।
 - इनमें शरणार्थी, शरण की मांग करने वाले और संबंधित समूह भी शामिल हैं।
 - इन्हें आर्थिक संवृद्धि का प्रमुख चालक माना जाता है।
 - विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय धन विप्रेषण 2000 में 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2022 तक बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।
 - अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां
 - भेदभाव: प्रवासियों की आय स्थानीय कामगारों की तुलना में 25% कम होती है।
 - बढ़ते संघर्ष: इसमें यूक्रेन-रूस, मध्य-पूर्व संकट आदि शामिल हैं।
 - स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता: कोविड-19 के दौरान प्रवासी कामगारों को गंतव्य देशों में बुनियादी चिकित्सा सहायता एवं आय संबंधी सुरक्षा से वंचित रहना पड़ा था।
 - अन्य: इसमें जेनोफोबिया (विदेशियों के प्रति घृणा) आदि शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए उठाए गए प्रमुख कदम

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM): यह 1951 में स्थापित प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर-सरकारी संगठन है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO): यह कन्वेंशंस के माध्यम से प्रवासी कामगारों के अधिकारों का समर्थन करता है और प्रवासन संबंधी निष्पक्ष श्रम पद्धतियों को बढ़ावा देता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1990 को अपनाया है।
- सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट (2018): यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के सभी आयामों को कवर करने वाला पहला अंतर-सरकारी समझौता है।

भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया

हाल ही में, असम की कुलसी नदी में एक स्वस्थ नर रिबर डॉल्फिन को टैग किया गया। बाद में उसे नदी के जल में छोड़ दिया गया। कुलसी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।

- प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है।
 - टैगिंग के तहत जानवर पर एक डिवाइस, मार्कर या टैग लगाया जाता है, ताकि उसकी पहचान की जा सके या उसे ट्रैक किया जा सके।
- ### टैगिंग पहल के बारे में
- उद्देश्य: टैगिंग से नदी डॉल्फिन के प्रवास पैटर्न, रेंज, प्राप्ति क्षेत्र और पर्यावास के उपयोग को समझने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से इससे मानव गतिविधियों की वजह से नदी के अपवाह में किसी भी तरह के बदलाव का नदी डॉल्फिन पर प्रभाव को समझा जा सकता है।
 - टैगिंग का कार्य केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा संपन्न किया गया है। इस कार्य को असम वन विभाग के सहयोग से भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने पूरा किया है।
 - टैगिंग कार्य को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) से फंड प्राप्त हुआ था।
 - राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) अधिनियम, 2016 के तहत हुई है।
 - यह प्राधिकरण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि का प्रबंधन करता है। यह निधि भारत के लोक लेखा के तहत स्थापित की गई है।

प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में

- यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है। यह प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर 2020 में शुरू की गई थी।
- इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गंगा नदी डॉल्फिन के साथ-साथ नदी के पारिस्थितिकी-तंत्र का भी संरक्षण करना है।

गंगा नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका) के बारे में

- इसे “भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव (National Aquatic Animal)” घोषित किया गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक (एंडेमिक) प्रजाति है।
- पर्यावास क्षेत्र: यह केवल ताजे जल में पाई जाती है। यह नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगू नदी तंत्र में पाई जाती है।
 - वर्तमान में, विश्व की 90% गंगा नदी डॉल्फिन भारत में मिलती है।
- IUCN रेड लिस्ट स्थिति: एंडेंजर्ड।

गंगा नदी डॉल्फिन की मुख्य विशेषताएं

- ये दृष्टिहीन होती हैं। इसलिए, ये शिकार या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए इकोलोकेशन पर निर्भर करती हैं।
 - इकोलोकेशन तकनीक का उपयोग जानवरों द्वारा ध्वनि तरंगों उत्सर्जित करने और उनकी प्रतिध्वनि सुनकर वस्तु या किसी अन्य जीव (जैसे शिकार) का पता लगाने के लिए किया जाता है।
- इनकी थूथन लंबी व पतली होती है, पेट गोल होता है, शरीर चौड़ा और मोटा होता है तथा फ्लिपर्स बड़े होते हैं।
 - मादा डॉल्फिन, नर से बड़ी होती है।
- यह अपने पारिस्थितिकी-तंत्र की अंब्रेला प्रजाति है। इसे “टाइगर ऑफ द गंगा” कहा जाता है।
- इसे बिहार में ‘सुस’ या ‘सुसु’ भी कहा जाता है, क्योंकि सांस लेते समय यह ऐसी अनोखी आवाज निकालती है।

अन्य सुर्खियां



राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI)

हाल ही में NCMEI का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया।

NCMEI के बारे में

- उत्पत्ति: इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (NCMEI) अधिनियम, 2004 के तहत की गई है।
- यह अर्ध-न्यायिक संस्था है। इसे सिविल कोर्ट के समान शक्तियां दी गई हैं।
- इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत प्रदत्त अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना है।
 - अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- NCMEI की शक्तियां:
 - यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के दर्जे से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेता है। वह ऐसे संस्थानों के दर्जे को रद्द भी कर सकता है।
 - यह संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित विवादों के लिए अपीलीय प्राधिकरण भी है।



संयुक्त संसदीय समिति (JPC)

एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया गया है।

- इस समिति में लोक सभा के 21 सदस्य और राज्य सभा के 10 सदस्य शामिल होंगे।
- इन विधेयकों में 129वां संविधान संशोधन विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल हैं।

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के बारे में

- यह एक तदर्थ (अस्थायी) समिति होती है। इस समिति का गठन किसी विशिष्ट उद्देश्य और तय अवधि के लिए किया जाता है।
- इसके गठन के लिए संसद के एक सदन में प्रस्ताव पारित किया जाता है और दूसरा सदन इस पर सहमति व्यक्त करता है।
- इस समिति के सदस्यों के नाम और विषय भी संसद द्वारा तय किए जाते हैं।
- संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं।



क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS)

देश के सभी 17,130 पुलिस स्टेशन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) के माध्यम से जुड़ गए हैं।

CCTNS परियोजना के बारे में

- यह केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक प्रमुख ई-गवर्नेंस कार्यक्रम है। इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के तहत शुरू किया गया है।
- इसे 2009 में 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था।
- इस परियोजना का उद्देश्य सभी स्तरों पर पुलिसिंग की दक्षता बढ़ाने तथा उसे और प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक व एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है।
- कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)।
- यह इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) का एक प्रमुख स्तंभ (पिलर) है। ICJS का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के मुख्य स्तंभों को एकीकृत करना है।
- ⊕ ICJS के अन्य स्तंभ हैं- न्यायालय (ई-कोर्ट), जेल (ई-प्रिजन), फॉरेंसिक लैब (ई-फॉरेंसिक) और अभियोजन (ई-प्रॉसीक्यूशन)।



इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंस, इंटरकनेक्टिविटी एंड सिव्योरिटी बाय सैटेलाइट (IRIS²)

हाल ही में, यूरोपीय संघ ने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंस, इंटर कनेक्टिविटी एंड सिव्योरिटी बाय सैटेलाइट (IRIS²) परियोजना शुरू की है।

- यह यूरोपीय संघ की तीसरी प्रमुख अंतरिक्ष अवसरचना परियोजना है। अन्य दो परियोजनाएं हैं- गैलिलियो नेविगेशन सिस्टम और कोपरनिकस।
- कोपरनिकस दुनिया का सबसे बड़ा पृथ्वी पर्यवेक्षण कार्यक्रम है। वहीं गैलिलियो दुनिया की सबसे सटीक असेन्य नेविगेशन प्रणाली है।

IRIS² के बारे में

- इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अन्य भागीदारों के सहयोग से विकसित किया गया है।
- उद्देश्य: उन क्षेत्रों में सुरक्षित कनेक्टिविटी और हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना, जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी कम है या बिल्कुल नहीं है।
- यह सीमा की निगरानी, विपदा प्रबंधन जैसी सरकारी कार्रवाइयों में सहायक है।
- यह प्रणाली पृथ्वी से कम और मध्यम ऊंचाई वाली कक्षाओं में स्थापित 290 सैटेलाइट्स पर आधारित है। एक ऐसी ही अन्य परियोजना एलन मस्क का स्टारलिनक प्रोजेक्ट है। यह परियोजना लगभग 7000 सैटेलाइट्स पर आधारित है।




वर्म थैरेपी

राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (NIS) ने एक साथ 567 व्यक्तियों को वर्म थैरेपी देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

वर्म थैरेपी के बारे में

- यह चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली के अंतर्गत एक अनूठी और पारंपरिक उपचार पद्धति है।
- वर्म सबसे प्राचीन दक्षिण भारतीय मार्शल आर्ट्स में से एक है, जो बाद में एक थैरेपी के रूप में विकसित हुई। यह बिना हथियार के युद्ध लड़ने की कला है। इसके अंतर्गत प्रतिद्वंद्वी की नसों, जोड़ों और अंगों पर चोट करने का प्रयास किया जाता है।
- प्रक्रिया: थैरेपी में वर्म बिंदुओं का चिकित्सीय हेरफेर किया जाता है, जिसे वर्म आदि (वर्म हमला) कहा जाता है। इस प्रक्रिया में प्राणशक्ति ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
- यह थैरेपी उपचार का एक बहुत ही अनोखा, गैर-आक्रामक, लागत प्रभावी व गैर-औषधीय रूप है।
- लाभ: वर्म थैरेपी को न्यूरोलॉजिकल और मस्क्युलोस्केलेटल रोगों के उपचार के लिए प्रभावी माना जाता है।



इंफ्रारेड रेडिएशन

इंफ्रारेड रेडिएशन को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए एक नई रणनीति विकसित की गई है। इसमें हेक्सगोनल बोरोन नाइट्राइड नामक रसायन की द्वि-आयामी नैनोशीट का उपयोग किया गया है।

- इसे विकिरणीय ताप अवरोधक, तापीय छलावरण (Thermal camouflage) और ताप प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है।

इंफ्रारेड रेडिएशन (अवरक्त विकिरण) के बारे में

- यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम का एक क्षेत्र है। इसमें वेवलेंथ (तरंग दैर्घ्य) लगभग 780 से 1000 नैनोमीटर तक होती है।
- इसकी वेवलेंथ दृश्यमान वेवलेंथ और सूक्ष्म तरंगों की वेवलेंथ के बीच होती है।
- सूर्य के विकिरण का लगभग 50% हिस्सा इंफ्रारेड रेडिएशन होता है।
- इसे पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है।
- मुख्य उपयोग: थर्मल इमेजिंग में, खगोलीय अवलोकन में आदि।
- ⊕ इंफ्रारेड रेडिएशन के अत्यधिक प्रभाव में आने से फोटोकार्सिनोजेनेसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं।



कैलाश मानसरोवर

विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में, भारत और चीन ने अक्टूबर 2024 के डिसएंगेजमेंट सीमा समझौते के कार्यान्वयन की पुष्टि की।

- समझौते में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने और सीमा-पार नदियों एवं सीमा-पार व्यापार पर डेटा साझा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की बात कही गई है।

कैलाश मानसरोवर के बारे में

- यह एक पवित्र तीर्थस्थल है, जिसमें कैलाश पर्वत (कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी) और तिब्बत में स्थित पवित्र मानसरोवर झील शामिल है।
- ⊕ मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची ताजे पानी की झील माना जाता है।
- भारत के तीर्थयात्री कुमाऊं में लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश पर्वत तक पहुंच सकते हैं।
- सांस्कृतिक महत्त्व: इसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बतियों के लिए भी पवित्र माना जाता है।



डार्क कॉमेट

नासा के शोधकर्ताओं ने अधिक डार्क कॉमेट्स यानी ओउमुआमुआ जैसे खगोलीय पिंडों की खोज की है। ओउमुआमुआ का अर्थ है- "दूर से एक द्रुत पहले आ रहा है।"

डार्क कॉमेट्स के बारे में

- ये ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, जो देखने में क्षुद्रग्रहों जैसे लगते हैं, लेकिन वे धूमकेतुओं की तरह व्यवहार करते हैं। पदार्थ हेतु सतह क्षेपण कम होने की वजह से इनकी पूंछ नहीं होती है।
- ये आमतौर पर अपनी कक्षाओं से विचलित हो जाते हैं। इस विचलन को यार्कोव्स्की इफेक्ट द्वारा नहीं समझाया जा सकता है।
- ⊕ यार्कोव्स्की इफेक्ट एक ऐसी परिघटना है, जो खगोलीय पिंडों के मार्ग को ऊष्मा ऊर्जा के असममित विकिरण के कारण बदल देती है।
- डार्क कॉमेट्स काफी तेजी से घूमते हैं और निकलने वाली गैस व धूल को सभी दिशाओं में फैला देते हैं, जिससे वे कम दिखाई देते हैं।
- डार्क कॉमेट्स दीर्घ व अण्डाकार पथों पर गमन करते हैं। यह पथ उन्हें सौर मंडल के सबसे दूर तक पहुंचने से पहले सूर्य के नजदीक लाता है।

सुर्खियों में रहे स्थल



लाइबेरिया (राजधानी: मोनरोविया)

भारत और लाइबेरिया ने द्विपक्षीय संबंधों को गहन और विविधतापूर्ण बनाने के लिए पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया।

लाइबेरिया के बारे में

- भौगोलिक अवस्थिति:
 - ⊕ यह अफ्रीका का सबसे पुराना गणराज्य है। यह कभी भी किसी औपनिवेशिक शक्ति के अधीन नहीं रहा।
 - ⊕ भूमि सीमाएं: इसके उत्तर-पश्चिम में सिएरा लियोन; उत्तर में गिनी; तथा पूर्व में कोटे डी आइवर स्थित है।
 - ⊕ समुद्री सीमाएं: इसके दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर का विस्तार है।
- भौगोलिक विशेषताएं:
 - ⊕ अवस्थिति: यह पश्चिमी अफ्रीकी तट पर अवस्थित है।
 - ⊕ सबसे ऊंची चोटी: माउंट वुटेव (इसे वोलागोर्जी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है)
 - ⊕ जैव विविधता: सदाबहार वनस्पति जैसे- रेड आयरनवुड, सागौन, महोगनी आदि।
 - ⊕ जीव-जंतु: बंदर, चिंपैंजी, छोटे मृग, पिग्मी दरियाई घोड़ा, चींटीखोर आदि।
 - ⊕ अन्य: सहारा से थूल भरी और शुष्क ह्रस्मट्टन (मरुस्थलीय पवनें) चलती हैं। इससे उच्च सापेक्ष आर्द्रता से राहत मिलती है।



अहमदाबाद

बेंगलूरु

भोपाल

चंडीगढ़

दिल्ली

गुवाहाटी

हैदराबाद

जयपुर

जोधपुर

लखनऊ

प्रयागराज

पुणे

रांची